"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मई 2025 — ज्येष्ठ 6, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक GEN-2101/1319/2025/COMM. & INDUS.— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव् औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करता है, अर्थात -

संशोधन

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में,

1 कंडिका (12.3) (स) में शब्द-समूह "एवं आईटीईएस" के पश्चात चिन्ह एवं शब्द समूह ", ग्लोबल कैपबिलटी सेंटर तथा रक्षा एयरोस्पैस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी" जोड़ा जाए।

2 कंडिका (12.4) (अ) में शब्द-समूह "सामान्य सेक्टर के उद्यमों" के स्थान पर शब्द-समूह "सामान्य श्रेणी के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्यमों" प्रतिस्थापित किया जाए।

3 कंडिका 12.4 (ब) में शब्द समूह "अन्य किसी प्रावधान में" के पश्चात चिन्ह एवं शब्द समूह "(12.4 (स) को छोड़कर)" जोड़ा जाए।

4 कंडिका (12.4) में नवीन खंड निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात -

"**(स)** 100 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को निम्नानुसार अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अनुदान की अधिकतम सीमा भी निम्नानुसार अधिक होगी:

क्र.	न्यूनतम स्थायी रोजगार	रोजगार गणक
(1)	(2)	(3)

1.	100	1.1
2.	200	1.2
3.	500	1.3
4.	700	1.4
5.	1000	1.5"

5 कंडिका (12.5) की तालिका में बिन्दु 19 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात -

"एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धता हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।"

6 कंडिका (12.5) की तालिका में बिन्दु 38 का विलोपन किया जाए।

7 कंडिका (12.5) की तालिका में नवीन प्रविष्टियाँ निम्नानुसार जोड़े जाएं, अर्थात -

"40	रोजगार सृजन अनुदान
41	ग्लोबल कैपबिलटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज
42	रक्षा, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्यमों हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज"

8 कंडिका (12.13) (अ) में शब्द समूह "30 प्रतिशत अधिकतम रू. 04 करोड़ का अनुदान तथा" को शब्द समूह "50 प्रतिशत अथवा रु 20 लाख प्रति एकड़, जो न्यूनतम हो, प्रदाय होगा। निजी औद्योगिक क्षेत्र में विकासकर्ता द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट जल प्रबंधन, सिवरेज जल प्रबंधन संयंत्र (Common Effluent Treatment/ Sewerage Treatment Plant) की स्थापना पर स्थापना लागत का 50% अधिकतम रु 10 लाख प्रति एकड़ (औद्योगिक पार्क) अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त" से प्रतिस्थापित किया जाए।

9 कंडिका 12.13 के खंड (ब) के स्थान पर निम्नानुसार खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात -

"(ब) अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अथवा रु 20 लाख प्रति एकड़ जो न्यूनतम हो प्रदाय होगा। निजी औद्योगिक क्षेत्र में विकासकर्ता द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट जल प्रबंधन, सिवरेज जल प्रबंधन संयंत्र (Common Effluent Treatment/ Sewerage Treatment Plant) की स्थापना पर

स्थापना लागत का 50% अधिकतम रु 10 लाख प्रति एकड़ अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एवं भू-पुनर्निधारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इन निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ता स्वयं के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार उद्यमों को भूमि का आबंटन कर सकेंगे, किंतु इन क्षेत्रों की स्थापना/ विकास के लिए उन्हें समस्त शासकीय नियम व शर्तों का पालन करना होगा।"

10 कंडिका (12.13) में नवीन खंड निम्नानुसार जोड़े जाएँ, अर्थात -

"**(द)** राज्य में निजी **प्लग एंड प्ले अधोसंरचना/ फ्लेटेड फैक्ट्री** की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु प्लग एंड प्ले अधोसंरचना/ फ्लेटेड फैक्ट्री स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु 30 करोड़ प्रदाय होगा। विकासकर्ता द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट जल प्रबंधन, सिवरेज जल प्रबंधन संयंत्र (Common Effluent Treatment/ Sewerage Treatment Plant) की स्थापना पर स्थापना लागत का 50% अधिकतम रु 5 करोड़ अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एवं भू-पुनर्निधारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इन निजी निजी प्लग एंड प्ले अधोसंरचना/ फ्लेटेड फैक्ट्री के विकासकर्ता द्वारा नीति के अध्याय-(स) में उल्लेखित उत्पादों/ सेवाओं से संबंधित सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्यमों को स्वयं के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार उद्यमों को भूमि का आबंटन कर सकेंगे, किंतु इन क्षेत्रों की स्थापना/ विकास के लिए उन्हें समस्त शासकीय नियम व शर्तों का पालन करना होगा।

(ई) नगरीय क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों से भिन्न विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में, जहाँ कोई **मल्टीप्लेक्स नहीं है,** निजी निवेशक द्वारा न्यूनतम 5 करोड़ के निवेश (भूमि की कीमत छोड़कर) से, न्यूनतम 8000 वर्गफीट कारपेट एरिया के **मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी-मॉल** की स्थापना पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु 30 करोड़ प्रदाय होगा। इसके अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एवं भू-पुनर्निधारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी। यह निवेश प्रोत्साहन उस क्षेत्र के प्रथम मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी-मॉल की स्थापना हेतु प्रदाय होगा। इकाई के उस क्षेत्र में प्रथम होने का निर्धारण संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।"

11 कंडिका (12.14) (स) में अंक एवं शब्द "90 दिवस" को अंक एवं शब्द "12 माह" से प्रतिस्थापित किया जाए।

12 परिशिष्ट-1 की कंडिका (6) में खण्ड (6.1) (1) के अंत में निम्नानुसार शब्द समूह जोड़ा जाए, अर्थात -

"किसी शासकीय संस्था द्वारा परियोजना हेतु लायसेंस पर प्रदान की गई भूमि, जो कालांतर में लीज होल्ड/ फ्री होल्ड में परिवर्तनीय हो, पर निर्धारित शर्तों के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने पर इकाई इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी।"

13 परिशिष्ट-1 की कंडिका (6) में खण्ड (6.1) (2) के अंत में निम्नानुसार शब्द समूह जोड़ा जाए, अर्थात -

"किसी शासकीय संस्था द्वारा परियोजना हेतु लायसेंस पर प्रदान किए गए भवन, जो कालांतर में लीज होल्ड/ फ्री होल्ड में परिवर्तनीय हो, पर निर्धारित शर्तों के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने पर इकाई इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी।"

14 परिशिष्ट-1 की कंडिका (6) में खण्ड (6.1) (3) में निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात-

"परंतु विदेशों से प्रतिस्थापित (Relocate) होने वाले उद्यमों की राज्य में स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आयातित पुराने संयंत्र/ मशीनरी (जिनकी आयु न्यूनतम 5 वर्ष बची हो) के मूल्य का 50% स्थायी पूंजी निवेश के रूप में मान्य किया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि विदेशों से पुनर्स्थापित (Relocate) होने वाली कंपनी स्वयं अथवा अपने स्वामित्व की सहायक कंपनी (Wholly Owned Subsidiary) के माध्यम से राज्य में निवेश करे।"

15 परिशिष्ट-1 की कंडिका 8 (द) में निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात-

"परंतु जिन इकाइयों द्वारा, विस्तार हेतु, राज्य शासन के साथ MoU निष्पादित किया गया है अथवा शासन द्वारा Invitation to Invest जारी किया गया है, उन्हें अभिस्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा।"

16 परिशिष्ट-1 की कंडिका 9 (स) में निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात-

"परंतु जिन इकाइयों द्वारा, शवलीकरण हेतु, राज्य शासन के साथ MoU निष्पादित किया गया है अथवा शासन द्वारा Invitation to Invest जारी किया

गया है उन्हें अभिस्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा।"

17 परिशिष्ट-1 की कंडिका (16) में शब्द समूह "कोर सेक्टर उद्यम" के पश्चात शब्द समूह **"सूची में सम्मिलित नहीं हैं"** जोड़ा जाए।

18 परिशिष्ट-1 की कंडिका (17) में शब्द समूह एवं चिन्ह "बाउन्ड्रीवाल निर्माण पर किये गये निवेश।" के पश्चात शब्द समूह एवं चिन्ह "विदेशों से पुनर्स्थापित (Relocate) होने वाले उद्यमों की राज्य में स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आयातित पुराने संयंत्र/ मशीनरी के मूल्य का 50% स्थायी पूंजी निवेश के रूप में मान्य किया जाएगा।" जोड़ा जाए; तथा

शब्द समूह "वृहद उद्योग/वृहद सेवा उद्यम के प्रकरणों में यह अवधि 24 माह" के स्थान पर शब्द समूह "रु 200 करोड़ तक के निवेश वाले वृहद उद्योग/ वृहद सेवा उद्यम के प्रकरणों में यह अवधि 24 माह, रु 200 करोड़ से 500 करोड़ तक के निवेश वाले उद्यमों के प्रकरणों में यह अवधि 36 माह, रु 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक के निवेश वाले उद्यमों के प्रकरणों में यह अवधि 48 माह तथा रु 1000 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्यमों के प्रकरणों में यह अवधि 60 माह" प्रतिस्थापित किया जाए।

19 परिशिष्ट 1 की कंडिका (19) में नवीन खंड निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात -

"(फ) जो इकाईयां औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन हेतु अपात्र हैं अथवा निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करना चाहती उनके उत्पादन के सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर विनिर्माण एवं मान्य सेवा उद्यम को "संचालन प्रमाण पत्र (Operational Certificate)" संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। इस संबंध में उद्योग संचालनालय द्वारा दिशा- निर्देश जारी किए जाएंगे।"

20 परिशिष्ट-1 की कंडिका (25) में शब्द समूह "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995" के स्थान पर शब्द समूह "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 49)" प्रतिस्थापित किया जाए; तथा परिशिष्ट -7 की कंडिका (10), परिशिष्ट -8 की कंडिका (6), परिशिष्ट -9 की कंडिका (13), अध्याय (ब-1) की कंडिका (6) और अध्याय (ब-2) व (ब-3) की कंडिका (8) में उल्लेखित शब्द समूह "भारत सरकार के दिव्यांग (निःशक्त), व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत" विलोपित किया जाए।

21 परिशिष्ट-1 की कंडिका (27) के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात, -

"(27) "नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति" का वही अर्थ होगा, जो छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/ पीड़ित राहत पुनर्वास नीति- 2025 में परिभाषित है।"

22 परिशिष्ट-1 की कंडिका (31) में शब्द समूह "कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4(ए)" को शब्द समूह "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2(72)" से प्रतिस्थापित किया जाए।

23 परिशिष्ट-2 की तालिका में उपशीर्ष (अ) अंतर्गत निम्नानुसार नवीन प्रविष्टि जोड़ा जाए, अर्थात -

"12	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा जारी नेशनल लिस्ट ऑफ़ एसेंसियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स (NLEAP) में उल्लेखित उत्पाद	200"

24 परिशिष्ट-2 की तालिका में उपशीर्ष (ब) अंतर्गत क्रमांक 4 की प्रविष्टि का विलोपन किया जाए।

25 परिशिष्ट-2 की तालिका में उपशीर्ष (ब) अंतर्गत निम्नानुसार नवीन प्रविष्टि जोड़ा जाए, अर्थात -

"5	हाइड्रोपोनिक्स, ऐरोपोनिक्स एवं हाईटेक कृषि जिसमे ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि का उपयोग हो। टीप- इस श्रेणी में निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य स्थायी पूंजी निवेश की गणना भूमि की कीमत को छोड़कर की जाएगी।	100
6	पोल्ट्री, हैचेरी एवं मीट प्रसंस्करण (भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा चिन्हान्कित उत्पाद)	100

टीप- उपरोक्त क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित सेक्टर में उनके सम्मुख उल्लेखित निवेश सीमा से कम निवेश करने वाले उद्यम इस नीति के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन हेतु अपात्र होंगे।"

26 परिशिष्ट 2 की तालिका में उपशीर्ष (क) अंतर्गत प्रविष्टि क्रमांक 6 के कॉलम 2 में शब्द "उद्यम" के पश्चात शब्द समूह "टीप- इस श्रेणी के वृहद उद्यम अध्याय (स-2) में उल्लेखित निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे।" जोड़ा जाए।

27 परिशिष्ट-2 की तालिका में उपशीर्ष (क) अंतर्गत निम्नानुसार नवीन प्रविष्टि जोड़ा जाए, अर्थात -

"12	ग्राफीन उत्पादन	500"

28 परिशिष्ट-2 की तालिका के अंत में निम्नानुसार नवीन प्रविष्टि और टीप जोड़ा जाए, अर्थात -

"(ग)	**खिलौना सेक्टर**	
1	प्लास्टिक आधारित खिलौने	75
2	सॉफ्ट टॉयस	50
3	इलेक्ट्रॉनिक खिलौने	150
4	छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खिलौने (ग्रामोद्योग)	10
	टीप- 1. प्लास्टिक आधारित खिलौने एवं सॉफ्ट टॉयस के वृहद उद्यम अध्याय (स-2) में उल्लेखित निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे। 2. इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के वृहद उद्यम अध्याय (स-4) में उल्लेखित निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे।"	

29 परिशिष्ट-2 की तालिका के अंत में निम्नानुसार नवीन प्रविष्टि जोड़ा जाए, अर्थात -

"(घ)	**चक्रीय अर्थव्यवस्था** (Circular Economy) **से संबंधित उत्पाद**	
1	बायोमास ब्रिकेट/पेलेट	100
2	प्लास्टिक रीसाइक्लिंग से ग्रैन्यूल निर्माण एवं अन्य उत्पाद, जो अपात्र उद्यम नहीं है, का विनिर्माण	75
3	इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोसेसिंग	100
4	ग्रीन सीमेंट (क्लिंकर-फ्री सीमेंट)	50
5	रीसाइकल्ड गारमेंट, फूटवीयर, कारपेट आदि	150

6	बायोमास बैग्स	50"

30 परिशिष्ट-3 में शब्द-समूह "(12) राईस मिल एवं परबॉईलिंग (केवल समूह -1 एवं 2 के विकासखंडों के लिए)" के स्थान पर शब्द-समूह "(14) राईस मिल, पारबॉयलिंग एवं फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) (केवल समूह-1 एवं 2 के विकासखंडों के लिए)" प्रतिस्थापित किया जाए।

31 परिशिष्ट-6 के शीर्षक से शब्द समूह "सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम" विलोपित किया जाए।

32 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (ब) के क्रमांक 3 के कॉलम 2 में शब्द समूह "बिजनस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ)" के पश्चात शब्द समूह एवं चिन्ह ", नालेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ), लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग (एलपीओ)" जोड़ा जाए।

33 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (स) के क्रमांक 1 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात

"1.	ऑटो-मोबाईल रिपेयरिंग एंड सर्विस सेंटर	समूह 1- 50
		समूह 2- 30
		समूह 3- 10"

34 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (ई) के क्रमांक 2 के कॉलम 3 में अंक "1500" के पश्चात शब्द समूह एवं चिन्ह "परन्तु बस्तर एवं सरगुजा संभाग हेतु 750" जोड़ा जाए।

35 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (इ) के क्रमांक 3 के कॉलम 2 में शब्द समूह "सांस्कृतिक सेवाएं" के पश्चात शब्द समूह एवं चिन्ह "यथा भारत/राज्य की कला, संगीत, नृत्य, साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र की स्थापना।" जोड़ा जाए।

36 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (इ) के क्रमांक 5 के कॉलम 2 में शब्द समूह "हेल्थ वेलनेस सेंटर" के पश्चात शब्द समूह "इनमें सम्मिलित हैं न्यूनतम 50 बेड वाले सभी प्रकार के एलोपथिक, आयुष, नैचुरोपैथी अथवा एकीकृत हॉस्पिटल/सेंटर" जोड़ा जाए।

37 परिशिष्ट-6 की तालिका के अंत में निम्नानुसार नवीन प्रविष्टि जोड़ा जाए, अर्थात -

"(ह)	**खेल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सेवाएं:**	
1	स्पोर्ट्स एवं री-क्रियेशनल सेंटर	500
2	आवासीय खेल अकादमी	500 (बस्तर एवं सरगुजा संभाग हेतु 200)
3	टेक्सटाइल, अपेरल, फूटवेयर, खिलौना, फर्नीचर, एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सेक्टर में निजी प्रशिक्षण केंद्र	25
4	NIRF (विश्वविद्यालय) रैंकिंग में टॉप 100 में सम्मिलित निजी विश्वविद्यालय का बस्तर/ सरगुजा संभाग में न्यूनतम 1000 छात्र की क्षमता के कैम्पस की स्थापना	5000
5	QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के टॉप 500 में सम्मिलित फॉरेन यूनिवर्सिटी का छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम 1000 छात्र की क्षमता के कैम्पस की स्थापना	5000
6	असेवित (unserved) नगरीय क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों से भिन्न विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में, उस क्षेत्र में प्रथम 03, न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा पहली से बारहवीं हेतु सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल। इकाई के उस क्षेत्र में प्रथम 03 होने का निर्धारण संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। (भूमि की कीमत छोड़कर)।	500"

38 परिशिष्ट-7 के प्रथम पैरा में शब्द समूह "की स्थापना" के पश्चात शब्द समूह "एवं विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण" जोड़ा जाए।

39 परिशिष्ट-7 की कंडिका (3), परिशिष्ट-8 की कंडिका (2), अध्याय (अ-2) की कंडिका (3), अध्याय (ब-1) की कंडिका (2), अध्याय (ब-2) की कंडिका (2), अध्याय (ब-3) की कंडिका (4), अध्याय (स-1), (स-2), (स-3), (स-4), (स-5),

(स-6), (स-7) की कंडिका (2) एवं अध्याय (द-1) की कंडिका (3) में निम्नानुसार वाक्य जोड़ा जाए, अर्थात -

"विस्तार/ शवलीकरण के प्रकरणों में उद्यमों को विद्युत शुल्क छूट, विस्तार/ शवलीकरण हेतु यंत्र एवं संयंत्र/उपस्कर में किए गए अतिरिक्त निवेश एवं यंत्र एवं संयंत्र/ उपस्कर में कुल निवेश (विद्यमान निवेश+विस्तार/ शवलीकरण निवेश) के अनुपात में, उपरोक्त अवधि हेतु प्रदान की जाएगी। चरणबद्ध उत्पादन/सेवा गतिविधि के प्रकरण में चरणवार अनुपात की गणना परिशिष्ट-1 की कंडिका (17) में उल्लेखित समय सीमा हेतु की जा सकेगी, परंतु छूट की अवधि की गणना विस्तार/शवलीकरण के पश्चात प्रथम उत्पादन/सेवा गतिविधि दिनांक से की जाएगी। "

40 परिशिष्ट-7 की कंडिका (11), परिशिष्ट 8 की कंडिका (8), अध्याय (अ-2) की कंडिका (19), अध्याय (ब-1) की कंडिका (9), अध्याय (ब-2) की कंडिका (10), अध्याय (ब-3) की कंडिका (9), अध्याय (स-1), (स-2) एवं (स-3) की कंडिका (10), अध्याय (स-4), (स-5), (स-6) एवं (स-7) की कंडिका (8) से शब्द "कुशल एवं अर्धकुशल" विलोपित किया जाए।

41 परिशिष्ट-8 के प्रथम पैरा में शब्द समूह "की स्थापना" के पश्चात शब्द समूह "एवं विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण" जोड़ा जाए।

42 परिशिष्ट-8 में कंडिका (1) एवं (2) की सारणी में शब्द समूह "यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश" को शब्द समूह "स्थायी पूंजी निवेश (भूमि की कीमत छोड़कर)" से प्रतिस्थापित किया जाए।

43 परिशिष्ट-8 की कंडिका (5) में शब्द "औद्योगिक" के पश्चात चिन्ह एवं शब्द "/वाणिज्यिक" जोड़ा जाए।

44 परिशिष्ट-8 की कंडिका (7), अध्याय (ब-1) की कंडिका (7), अध्याय (ब-2) की कंडिका (9), अध्याय (स-1), (स-2) एवं (स-3) की कंडिका (9) एवं अध्याय (स-4), (स-5), (स-6) एवं (स-7) की कंडिका (7) से शब्द "कुशल एवं अर्धकुशल" विलोपित किया जाए तथा शब्द समूह "रु 01 करोड़ प्रतिवर्ष" को शब्द समूह "मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 2%" प्रतिस्थापित किया जाए।

45 परिशिष्ट-8 की कंडिका (9) के शीर्ष में अंक "1000" को अंक "500" से प्रतिस्थापित किया जाए।

46 परिशिष्ट-9 कंडिका (6) में शब्द समूह "तथा निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों को न्यूनतम 15 एकड़ तक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण में 90 प्रतिशत छूट रहेगी" को विलोपित किया जाए।

47 अध्याय (ब-1) में कंडिका (1) के पश्चात नवीन कंडिका निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात -

"**(1-अ) <u>ब्याज अनुदान</u>:-**
परिशिष्ट-2 के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर के उद्यमों की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/शवलीकरण पर प्लांट एवं मशीनरी हेतु प्लांट लिए गए सावधि ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का 40% अथवा 5% की दर से परिकलित ब्याज जो न्यूनतम हो, वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों के लिए, अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान की वार्षिक सीमा रु 5 करोड़ होगी।"

48 अध्याय (ब-1) की कंडिका (10), अध्याय (स-1), (स-2) की कंडिका (12), अध्याय (स-3) की कंडिका (13), अध्याय (स-4), (स-5) की कंडिका (10) एवं अध्याय (स-6), (स-7) की कंडिका (11) में शब्द समूह "के अनुसार होगी" को शब्द समूह "में निर्धारित दर, संयुक्त अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश का 2%, से देय होंगे" से प्रतिस्थापित किया जाए।

49 अध्याय (ब-2) के शीर्षक में शब्द समूह "सेक्टर के" पश्चात शब्द समूह "मध्यम एवं" जोड़ा जाए।

50 अध्याय (ब-2) के प्रथम पैरा में शब्द समूह "स्टील सेक्टर के पात्र नवीन" के पश्चात शब्द समूह "मध्यम एवं" जोड़ा जाए।

51 अध्याय (ब-2) की कंडिका (7) की तालिका में क्रमांक 1 विलोपित किया जाए।

52 अध्याय (ब-2) की कंडिका (11) में शब्द समूह "सामान्य एवं थ्रस्ट" को शब्द समूह "कोर(स्टील)" से प्रतिस्थापित किया जाए।

53 अध्याय (ब-3) के शीर्षक में शब्द समूह "कोर सेक्टर के अन्य" के पश्चात शब्द समूह "मध्यम एवं" जोड़ा जाए।

54 अध्याय (स) के शीर्षक में शब्द "उत्पाद" के पश्चात चिन्ह एवं शब्द "/सेवा" जोड़ा जाए, एवं शब्द "वृहद" विलोपित किया जाए।

55 अध्याय (स-1) एवं (स-3) में नवीन कंडिका **(9-अ)**, अध्याय (स-4), (स-5) एवं (स-6) और अध्याय (स-7) में नवीन कंडिका **(7-अ)** के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात-

"**<u>रोजगार सृजन अनुदान</u>:-**
50 से अधिक स्थायी रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमों द्वारा उनके स्थायी नियोजन में सम्मिलित रु 50,000 तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को भुगतान किए गए वेतन का 20% की प्रतिपूर्ति नियोजन से 5 वर्षों तक अधिकतम प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवा गतिविधि दिनांक से 7 वर्षों तक की जाएगी।"

56 अध्याय (स-1),(स-2),(स-3) एवं (स-4) में कंडिका (1) के पश्चात नवीन कंडिका निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात -

"**(1-अ) <u>ब्याज अनुदान</u>:-**
नवीनउद्यमों की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण पर प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए सावधि ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का 50% अथवा 6% की दर से परिकलित ब्याज जो न्यूनतम हो, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों के लिए, अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान की वार्षिक सीमा रु 20 करोड़ होगी।"

57 अध्याय-स-2 के प्रथम पैरा में अंक "100" को अंक "200" से प्रतिस्थापित किया जाए।

58 अध्याय (स-2) में कंडिका (9) के पश्चात नवीन कंडिका निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात -

"**(9-अ) <u>रोजगार सृजन अनुदान</u>: -**
50 से अधिक स्थायी रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमों द्वारा उनके स्थायी नियोजन में सम्मिलित रु 50,000 तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों हेतु, रु 6,000 प्रति महिला प्रतिमाह एवं रु 5,000 प्रति पुरुष प्रतिमाह रोजगार सृजन अनुदान नियोजन से 5 वर्षों तक अधिकतम प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवा गतिविधि दिनांक से 7 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा।"

59 अध्याय (स-2) की कंडिका 11 में शब्द समूह "110 प्रतिशत" को शब्द समूह "220 प्रतिशत" से प्रतिस्थापित किया जाए।

60 अध्याय (स-2) की कंडिका 12 में शब्द समूह "परिवहन अनुदान (केवल निर्यातक इकाई को)," एवं शब्द समूह "व 9.16" विलोपित किया जाए।

61 अध्याय (स-3) की कंडिका (11) में शब्द समूह "के दिनांक से 5 वर्ष" को शब्द समूह "अथवा प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष, जो पश्चातवर्ती हो" से

प्रतिस्थापित किया जाए;
शब्द समूह "50 प्रतिशत" को शब्द समूह "75 प्रतिशत" से प्रतिस्थापित किया जाए;
और शब्द समूह "व्यय की प्रतिपूर्ति" विलोपित किया जाए।

62 अध्याय (स-5) की कंडिका (5) में शब्द "औद्योगिक" को शब्द "वाणिज्यिक" से प्रतिस्थापित किया जाए।

63 अध्याय (स-5) की कंडिका बिन्दु (9) में अंक "110" को अंक "165" से प्रतिस्थापित किया जाए।

64 अध्याय (स-5),(स-6) एवं (स-7) में कंडिका (1) के पश्चात नवीन कंडिका निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात -

"**(1-अ) <u>ब्याज अनुदान</u>:-**
नवीन उद्यमों की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण हेतु लिए गए सावधि ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का 50% अथवा 6% की दर से परिकलित ब्याज जो न्यूनतम हो, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों के लिए, अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान की वार्षिक सीमा रु 20 करोड़ होगी।"

65 अध्याय (स-6) की कंडिका (5) में शब्द "औद्योगिक" को शब्द "वाणिज्यिक" से प्रतिस्थापित किया जाए।

66 अध्याय (स-6) की कंडिका (10) में अंक "110" को अंक "165" से प्रतिस्थापित किया जाए।

67 अध्याय (स-7) की कंडिका (5) में शब्द "औद्योगिक" को शब्द "वाणिज्यिक" से प्रतिस्थापित किया जाए।

68 अध्याय (स-7) की कंडिका (10) में अंक "110" को अंक "165" से प्रतिस्थापित किया जाए।

69 अध्याय (स-7) के पश्चात नवीन अध्याय **(स-8) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना हेतु "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" पैकेज** संलग्न **अनुसूची-1** अनुसार जोड़ा जाए।

70 अध्याय (स-8) के पश्चात नवीन अध्याय **(स-9) औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 के अंतर्गत डिफेन्स एवं स्पेस से सम्बंधित क्षेत्र के वृहद उद्यम हेतु "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" पैकेज** संलग्न **अनुसूची-2** अनुसार जोड़ा जाए।

71 अध्याय (द-1) की कंडिका (8) में शब्द समूह एवं चिन्ह "व्यय की प्रतिपूर्ति," के पश्चात शब्द समूह एवं चिन्ह "मंडी शुल्क से छूट," जोड़ा जाए।

72 अध्याय (द-2) विलोपित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

अनुसूची-1

(स-8) औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 के अंतर्गत ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना हेतु "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" पैकेज:-

भारत ग्लोबल कैपबिलटी सेंटर की स्थापना में अग्रणी देश है। वर्तमान में देश में लगभग 1800 जीसीसी कार्यरत हैं जो लगभग 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इनमे से लगभग 92% जीसीसी बेंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एवं दिल्ली एनसीआर में स्थापित हैं। अतः जीसीसी को राज्य में आकर्षित करने हेतु विशेष पैकेज तैयार किया गया है।

जीसीसी वह इकाइयां होंगी जो मल्टी नैशनल कंपनी के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी एवं जो बैक एंड ऑफिस/ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस/ अनुसंधान केंद्र के रूप में अपनी पैरेंट कंपनी के विशेष कार्य जैसे वित्तीय प्रबंधन, एनालिटिक्स, मानव संसाधन प्रबंध, इन्टर्नल ऑडिट, विधिक कार्य, आईटी, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, नवाचार, ग्लोबल सप्लाइ चेन प्रबंधन इत्यादि निष्पादित करेगी। जीसीसी के अंतर्गत किसी थर्ड पार्टी के लिए सिर्फ आई.टी./ आई.टी.ई.एस. सेवा प्रदान करने वाली इकाई जीसीसी के रूप में मान्य नहीं होगी।

स्थायी पूंजी निवेश एवं रोजगार के आधार पर जीसीसी को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ग्लोबल कैपबिलटी सेंटर	मानदंड
लेवल-1 जीसीसी	रु 10 करोड़ से 50 करोड़ स्थाई पूंजी निवेश अथवा न्यूनतम 250 रोजगार प्रदान करने वाले जीसीसी
एडवांस जीसीसी	न्यूनतम 50 करोड़ स्थाई पूंजी निवेश अथवा न्यूनतम 500 रोजगार प्रदान करने वाले जीसीसी

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत राज्य में निवेश के आधार पर ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना तथा विस्तार के प्रकरणों में निवेशक इकाईयों को उनके द्वारा परियोजना में स्थाई पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने

वाली राशि के 150 प्रतिशत तक (अन्यथा प्रावधानित होने पर यह सीमा तदानुसार होगी) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जावेगा।

इस पैकेज में अनुदान/छूट/रियायतें/प्रतिपूर्ति की निम्नानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी:-

(1) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

राज्य में ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना पर निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जावेगा-

स्थायी पूंजी निवेश	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम राशि (रूपये करोड़ में)	अनुदान वितरण की समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
लेवल-1 जीसीसी	35	15	05 वर्ष, समान वार्षिक किश्तों में
एडवांस जीसीसी	35	60	06 वर्ष, समान वार्षिक किश्तों में

नोटः-

1. स्थायी पूंजी अनुदान की प्रथम किश्त का भुगतान सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर निर्धारित स्वीकृति के पश्चात किया जा सकेगा।

2. जीसीसी हेतु नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था करने पर इकाई 5% अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होगी तथा अधिकतम सीमा भी 5% अधिक होगी।

(2) विद्युत शुल्क छूट :-

राज्य में ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना पर सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक विद्युत शुल्क छूट दी जावेगी।

(3) स्टाम्प शुल्क से छूट :-

राज्य में नवीन ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की पर भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे/ पर लिए जाने के मामले में निष्पादित किये जाने विलेखों पर संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान किया जायेगा।

(4) पंजीयन शुल्क प्रतिपूर्ति :-

राज्य में नवीन ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना हेतु भूमि पर देय पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति प्रदान किया जायेगा।

(5) भू उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट :-

राज्य में नवीन ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना पर भू-उपयोग परिवर्तन (वाणिज्यिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 50 एकड़ भूमि तक के लिए भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

(6) नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क की प्रतिपूर्ति :-

जीसीसी की स्थापना हेतु नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क (सुरक्षा निधि को छोड़कर) की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

(7) परिचालन व्यय (Operational Expendture) अनुदान :-

राज्य में ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना पर सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों तक परिचालन व्यय (लीस रेंट, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैन्डविड्थ, डेटा सेंटर/ क्लाउड होस्ट सर्विस चार्ज तथा ऊर्जा व्यय) का 20% अनुदान प्रदान किया जाएगा। परिचालन व्यय अनुदान की वार्षिक सीमा मान्य स्थायी पूंजी निवेश की 2% होगी।

(8) ब्याज अनुदान:

जीसीसी की स्थापना हेतु लिए गए सावधि ऋण पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा:

स्थायी पूंजी निवेश	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम वार्षिक सीमा (रूपये करोड़ में)	समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
लेवल-1 जीसीसी	भुगतान किए गए ब्याज का 50% अथवा 6% की दर से अगणित ब्याज जो न्यूनतम हो	1	5 वर्षों के लिए
एडवांस जीसीसी	भुगतान किए गए ब्याज का 40% अथवा 6% की	2	5 वर्षों के लिए

	दर से अगणित ब्याज जो न्यूनतम हो		

(9) वेतन व्यय अनुदान :-

राज्य में स्थापित जीसीसी को सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों तक राज्य के मूल निवासियों को भुगतान किए गए वेतन का 20% अधिकतम रु 2,00,000/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी अनुदान प्रदान किया जाएगा । प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा मान्य स्थायी पूंजी निवेश के 10% के समतुल्य होगी।

(10) ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति :-

राज्य में ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना पर छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों हेतु नियोक्ता के ईपीएफ अंशदान में 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 05 वर्ष तक की जाएगी। प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा मान्य स्थायी पूंजी निवेश के 2% के समतुल्य होगी।

(11) कौशल विकास व्यय प्रतिपूर्ति :-

राज्य में स्थापित ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थायी कर्मचारियों के एमरजींग टेक्नॉलजी (यथा ब्लॉकचेन, एआई इत्यादि)/accounting/ऑडिट/ एनालिटिक्स/साइबर सिक्युरिटी इत्यादि में प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति 50% की दर से अथवा रु 50,000/- प्रति कर्मचारी जो न्यूनतम हो की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा मान्य स्थायी पूंजी निवेश की 50% होगी एवं समय सीमा सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 5 वर्ष तक होगी।

(12) एंकर इकाईयों को विशेष अनुदान :-

प्रथम 5 एंकर इकाईयों जिनका निवेश रू. 100 करोड़ से अधिक होगा उन्हें मान्य स्थाई पूंजी निवेश का 5 प्रतिशत अनुदान अधिक एवं अधिकतम सीमा कुल स्थाई पूंजी निवेश के 165 प्रतिशत तक दी जा सकेगी।

(13) अन्य अनुदान :-

अन्य अनुदान यथा - परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, जल एवं ऊर्जा

दक्षता व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान, परिशिष्ट-क्रमशः 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 एवं 9.15 के अनुसार होगी।

(14) विशेष अनुदान :-

राज्य के स्टार्ट-अप हेतु जीसीसी में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने पर जीसीसी को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अध्याय द-3 के बिन्दु (5) में उल्लेखित अनुदान प्रदान किए जाएंगे।

(15) 500 करोड़ से अधिक निवेश अथवा 1000 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों के लिए विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान :-

राज्य में रु 500 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली अथवा 1000 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना हेतु औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति विचार कर सकेगी।

अनुसूची-2

(स-9) औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 के अंतर्गत रक्षा, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र के वृहद उद्यम हेतु "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" पैकेज:-

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत राज्य में निवेश के आधार पर **रक्षा, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी** से संबंधित नवीन उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण के प्रकरणों में निवेशक इकाईयों को उनके द्वारा परियोजना में स्थाई पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने वाली राशि के 100 प्रतिशत तक (अन्यथा प्रावधानित होने पर यह सीमा तदानुसार होगी) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जावेगा। भारत सरकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत एजेंसियों द्वारा परिभाषित/मान्य रक्षा, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्यम/उत्पाद इस पैकेज हेतु पात्र होंगे।

इस पैकेज में अनुदान/छूट/रियायतें/प्रतिपूर्ति की निम्नानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी:-

(1) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति : -

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी), अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जावेगी।

अथवा

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

राज्य में डिफेन्स एवं एयरोस्पेस से संबंधित नवीन उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण के प्रकरणों में निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जावेगा-

यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश (रूपये करोड़ में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम राशि (रूपये करोड़ में)	अनुदान वितरण की समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)

रू. 50 से अधिक किन्तु रू. 200 से कम	35	60	06 वर्ष, समान वार्षिक किश्तों में
रू. 200 से अधिक किन्तु रू. 500 से कम	35	150	06 वर्ष, समान वार्षिक किश्तों में
रू. 500 से अधिक	35	300	06 वर्ष, समान वार्षिक किश्तों में

नोटः- (1) बिन्दु क्रमांक 1 में दर्शित नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अथवा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान में से कोई एक सुविधा विकल्प चयन के आधार पर ली जा सकेगी। इस हेतु एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। विकल्प चयन करने हेतु निवेशक को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में विकल्प पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(2) स्थायी पूंजी अनुदान की प्रथम किश्त का भुगतान उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर निर्धारित स्वीकृति के पश्चात किया जा सकेगा।

(2) ब्याज अनुदान :-

नवीन उद्यमों की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण पर प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए सावधि ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का 50% अथवा 6% की दर से परिकलित ब्याज जो न्यूनतम हो, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों के लिए, अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान की वार्षिक सीमा रु 20 करोड़ होगी।

(3) विद्युत शुल्क छूट :-

राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक की विद्युत शुल्क छूट दी जावेगी। विस्तार/ शवलीकरण के प्रकरणों में उद्यमों को विद्युत शुल्क छूट, विस्तार/ शवलीकारण हेतु यंत्र एवं संयंत्र/ उपस्कर में किए गए अतिरिक्त निवेश एवं यंत्र एवं संयंत्र/उपस्कर में कुल निवेश (विद्यमान निवेश+विस्तार/ शवलीकरण निवेश) के अनुपात में, उपरोक्त अवधि हेतु प्रदान की जाएगी। चरणबद्ध उत्पादन के प्रकरण में चरणवार अनुपात की गणना

परिशिष्ट-1 के बिन्दु (17) में उल्लेखित समय सीमा हेतु की जा सकेगी, परंतु छूट की अवधि की गणना विस्तार/शवलीकरण के पश्चात प्रथम उत्पादन दिनांक से की जाएगी।

(4) स्टाम्प शुल्क से छूट :-

राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण के प्रकरणों में भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/ पट्टे पर लिए जाने के मामले में निष्पादित किये जाने विलेखों पर संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान किया जायेगा।

(5) पंजीयन शुल्क प्रतिपूर्ति :-

राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण के प्रकरणों में भूमि पर देय पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति प्रदान किया जायेगा।

(6) भू उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट :-

राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण के प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 50 एकड़ भूमि तक के लिए भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

(7) नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क की प्रतिपूर्ति :-

केवल पात्र नवीन उद्यमों को नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क (सुरक्षा निधि को छोड़कर) की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

(8) रोजगार सृजन अनुदान : -

50 से अधिक स्थायी रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमों द्वारा प्रथम बार स्थायी रोजगार प्राप्त करने वाले एवं रु 50,000 तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को भुगतान किए गए वेतन का 20% की प्रतिपूर्ति नियोजन से 5 वर्षों तक अधिकतम प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवा गतिविधि दिनांक से 7 वर्षों तक की जाएगी।

(9) ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति :-

राज्य में उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण के प्रकरणों में छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान में उत्पादन दिनांक से 05 वर्ष तक की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 2% प्रतिवर्ष की पात्रता होगी।

(10) प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति :-

राज्य में उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण के प्रकरणों में रूपये 50,000 प्रतिमाह से कम वेतन वाले छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी के प्रशिक्षण पर उनके एक माह का वेतन या अधिकतम रूपये 15,000 प्रति व्यक्ति, जो कम हो, की दर से 05 वर्ष की अवधि हेतु अथवा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जा सकेगी । इस हेतु प्रथम क्लेम कर्मचारी के नियोजन के एक वर्ष पश्चात से देय होगा ।

(11) एंकर इकाईयों को विशेष अनुदान :-

प्रथम 5 एंकर इकाईयों जिनका निवेश रू. 200 करोड़ से अधिक होगा उन्हें मान्य स्थाई पूंजी निवेश का 5 प्रतिशत अनुदान अधिक एवं अधिकतम सीमा कुल स्थाई पूंजी निवेश के 110 प्रतिशत तक दी जा सकेगी।

(12) अन्य अनुदान :-

अन्य अनुदान यथा - परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, जल एवं ऊर्जा दक्षता व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान, परिवहन अनुदान (केवल निर्यातक इकाई को), परिशिष्ट-क्रमशः 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.15 व 9.16 में उल्लेखित दर के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। अनुदानों की अधिकतम सीमा मान्य स्थायी पूंजी निवेश के 2% के समतुल्य होगी ।

(13) विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन :- राज्य में नवीन डिफेन्स एवं एयरोस्पेस से संबंधित उद्यमों की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण के प्रकरणों में निम्नानुसार विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा:-

क्र.	मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	अनुसंधान एवं विकास की स्थापना	रक्षा,एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हेतु स्थापित नवीन अनुसंधान एवं विकास हेतु क्रय यंत्र एवं संयंत्र पर व्यय का 20 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रूपये 3 करोड़।
2	अनुसंधान एवं विकास हेतु क्रय/ लीज पर प्राप्त की गयी भूमि एवं भवन पर स्टाम्प शुल्क छूट	पूर्ण छूट।
3	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की स्थापना पर निवेश प्रोत्साहन	रक्षा, ऐयरोस्पेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रेमोट सेन्सिंग इत्यादि क्षेत्रों हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की स्थापना/ विस्तार/ शवलीकरण पर 50% स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं निवेश के आधार पर नीति के परिशिष्ट-7/ परिशिष्ट-8 में उल्लेखित अन्य निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
4	निर्यात हेतु प्रमाण पत्र प्राप्ति	निर्यात हेतु उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन/अनुमोदन प्राप्त किये जाने के अन्य प्रकरण में प्रति प्रकरण राशि रूपये 15 लाख प्रति उत्पाद, अधिकतम 10 उत्पादों हेतु आवेदन शुल्क की अधिकतम 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी, किन्तु इस हेतु इकाई को प्रति उत्पाद रूपये 50 करोड़ अथवा इससे अधिक व्यावसायिक निर्यात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस नीति की अवधि में किये जाने वाले पेटेंट पंजीकरण के संबंध में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय संबंधित उत्पादों के पेटेंट दर्ज कराने संबंधी

		मामले में पेटेंट प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में व्यय की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।
5	ड्रोन टेस्टिंग एवं ट्रैनिंग सेंटर की स्थापना	ड्रोन की टेस्टिंग तथा ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण हेतु सेंटर की स्थापना पर किए गए व्यय का 20% अनुदान, अधिकतम रु 50 लाख।

(14) रूपये 1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों के लिए विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान :-

राज्य में रक्षा, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्यमों में रूपये 1000 करोड़ अथवा इससे अधिक निवेश करने वाले अथवा 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमों को औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति विचार कर सकेगी।

Nava Raipur Atal Nagar, the 27th May 2025

NOTIFICATION

No. GEN-2101/1319/2025/COMM. & INDUS.— Whereas, the State Government is of the opinion that, in order to accelerate the industrial development of the State and to clarify the provisions of the Industrial Development Policy 2024–30, it is necessary to do so in public interest;

therefore, in exercise of the powers conferred under Para (2) of the Industrial Development Policy 2024–30, the State Government, hereby, makes the following further amendments to the Industrial Development Policy 2024–30, namely:

AMENDMENTS

In the Industrial Development Policy 2024–30,

1. in Para (12.3)(c), after the words "/ITES", the mark and words ", Global Capability Centre, and Defence, Aerospace and Space Technology" shall be added.

2. in Para (12.4)(a), for the words "the general enterprise", the words "enterprises established by entrepreneurs of the general category" shall be substituted.

3. in Para (12.4)(b), after the words "or provision", the mark and words "(except 12.4(c))" shall be added.

4. in Para (12.4), the new clause shall be added as follows, namely:

"(c) Units providing employment to more than 100 persons shall be eligible for an additional Fixed Capital Investment Subsidy as per the scale below and the maximum subsidy limit shall also be increased accordingly:

S. No.	Minimum Permanent Employment	Employment Multiplier
(1)	(2)	(3)
1.	100	1.1
2.	200	1.2

3.	500	1.3
4.	700	1.4
5.	1000	1.5"

5. in Para (12.5), the entry of point 19 in the table shall be substituted as follows:

"Reimbursement of expenses incurred for listing on SME Stock Exchange."

6. in Para (12.5), point 38 in the table under shall be deleted.

7. in Para (12.5), new entries in the table shall be added as follows:

"40	Employment Generation Subsidy
41	Special Investment Promotion Package for Establishment of Global Capability Center (GCC)
42	Special Investment Promotion Package for enterprises related to Defence, Aerospace, and Space Technology"

8. in Para (12.13) (a), for the words "30 percent of the infrastructure cost (except land) will be granted as subsidy, up to maximum of Rs. 4 Crore", the words "50 percent of the infrastructure cost (except land) or Rs. 20 lakh per acre, whichever is lower, shall be provided. For the establishment of Common Effluent Treatment/Sewerage Treatment Plants by developers of private industrial areas, a grant of 50% of the installation cost, subject to a maximum of Rs. 10 lakh per acre (industrial park), shall be provided. Additionally," shall be substituted.

9. in Para (12.13), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:

"(b) 50 percent of infrastructure cost (excluding land) or Rs. 20 lakh per acre, whichever is lower, shall be provided. For the establishment of Common Effluent Treatment/Sewerage Treatment Plants by developers of private industrial areas, a subsidy of 50% of the installation cost, subject to a maximum of Rs. 10 lakh per acre, shall be provided. In addition, 100% exemption from stamp duty, 50% reimbursement of land registration fee, and 100% exemption from land conversion charge (diversion fee) shall be granted. The developers of such private industrial areas/industrial parks may allot land to enterprises based on their own determined terms and conditions, but they must comply with all applicable government rules and regulations for the establishment/development of these areas."

10. in Para (12.13), new clauses shall be added as follows, namely:

"(d) To encourage the establishment of private **plug-and-play infrastructure/flatted factories** in the state, 30% of infrastructure cost (excluding land), subject to a maximum of Rs. 30 crore, shall be provided for setting up such facilities. For the establishment of Common Effluent Treatment/Sewerage Treatment Plants by the developers, a subsidy of 50% of the installation cost, subject to a maximum of Rs. 5 crore, shall be provided. In addition, 100% exemption from stamp duty, 50% reimbursement of land registration fee, and 100% exemption from land conversion charge (diversion fee) shall be granted. The developers of such private plug-and-play infrastructure/flatted factories may allot land to micro, small, medium, and large enterprises related to the products/services mentioned in Chapter (C) of the policy, based on their own determined terms and conditions, but they must comply with all applicable government rules and regulations for the establishment/development of these areas.

(e) In urban areas and within a 10 km radius from the headquarters of development blocks (other than urban areas), where **no multiplex** exists, for the establishment of a **mini-mall with a multiplex** by private investors with a minimum investment of Rs. 5 crore (excluding land cost) and a minimum carpet area of 8000 sq. ft., 30% of the infrastructure cost (excluding land), subject to a maximum of Rs. 30 crore, shall be provided. Additionally, 100% exemption from stamp duty, 50% reimbursement of land registration fee, and 100% exemption from land conversion charge (diversion fee) shall be granted. This investment promotion shall be available only for the first mini-mall with a multiplex established in that area. The determination of whether the unit is the first in that area shall be based on a certificate issued by the concerned district administration."

11. in Para (12.14) (c), for the figure and word "90 days", the figure and words "12 months" shall be substituted.

12. in Para (6) of Annexure-1, the following words shall be added at the end of clause (6.1) (1), namely:

"If land provided by a government institution on license for a project is convertible into leasehold/freehold in due course, the unit shall be eligible for industrial investment promotion under this policy upon implementation of the project as per prescribed conditions."

13. in Para (6) of Annexure-1, the following words shall be added at the end of clause (6.1) (2), namely:

"If buildings provided by a government institution on license for a project are convertible into leasehold/freehold in due course, the unit shall be eligible for

industrial investment promotion under this policy, upon implementation of the project as per prescribed conditions."

14. in Para (6) of Annexure-1, the following proviso shall be added in clause (6.1) (3), namely:

"Provided that, to encourage the establishment of enterprises relocating from foreign to the state, 50% of the value of imported old plant/machinery (having a remaining useful life of at least 5 years) shall be considered as fixed capital investment. It shall be necessary that the company relocating from foreign invests in the state either directly or through its wholly owned subsidiary."

15. in Para 8(b) of Annexure-1, the following proviso shall be added, namely:

"Provided that, units that have executed an MoU with the State Government for expansion or have received an Invitation to Invest from the government shall not be required to obtain acknowledgement."

16. in Para 9(c) of Annexure-1, the following proviso shall be added, namely:

"Provided that, units that have executed an MoU with the State Government for diversification or have received an Invitation to Invest from the government shall not be required to obtain approval."

17. in Para (16) of Annexure-1, the words "not categorized as" will be kept as it is.

18. in Para (17) of Annexure-1, after the words and mark "investment made on boundary wall construction.", the words and mark "To encourage the establishment of enterprises relocating from foreign to the state, 50% of the value of imported old plant/machinery shall be considered as fixed capital investment." shall be added; And

for the words "for large industries/large service enterprises, this period is 24 months" the words "In cases of large industries/large service enterprises with investment up to ₹200 crore, this period is 24 months; for enterprises with investment from ₹200 crore to ₹500 crore, this period is 36 months; for investments from ₹500 crore to ₹1000 crore, this period is 48 months; and for enterprises with investment exceeding ₹1000 crore, this period is 60 months." shall be substituted.

19. in Para (19) of Annexure-1, the following new clause shall be added, namely:

"(f) Units that are ineligible for investment promotion incentives under the Industrial Development Policy 2024-30, or that do not wish to avail such incentives, may be issued an 'Operational Certificate' by the concerned District Trade and Industry Centre upon submission of an application for verification of

production in manufacturing and eligible service enterprises. The Directorate of Industries shall issue guidelines in this regard."

20. in Para (25) of Annexure-1, for the words "Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995", the words "Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016)" shall be substituted; And in Para (10) of Annexure-7, Para (6) of Annexure-8, Para (13) of Annexure-9, Para (6) of Chapter (B-1), and Para (8) of Chapters (B-2) and (B-3), the words "under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 of the Government of India" shall be omitted.

21. for Para (27) of Annexure-1, the following Para shall be substituted, namely: "(27) 'Person affected by Naxalism' shall have the same meaning as defined in the Chhattisgarh Naxal Surrender/Victim Relief and Rehabilitation Policy-2025."

22. in Para (31) of Annexure-1, for the words "Section 4(A) of the Companies Act, 1956", the words "Section 2(72) of the Companies Act, 2013 (Act No. 18 of 2013)" shall be substituted.

23. under sub-heading (A) in the table of Annexure-2, a new entry shall be added as follows:

"12	Products mentioned in the National List of Essential Assistive Products (NLEAP) issued by the Indian Council of Medical Research (ICMR)	200"

24. under sub-heading (B) in the table of Annexure-2, entry of serial number 4 shall be omitted.

25. under sub-heading (B) in the table of Annexure-2, the following new entries shall be added:

"5	Hydroponics, Aeroponics, and High-tech agriculture involving the use of automation, Internet of Things, etc. Note – For investment promotion under this category, the calculation of eligible fixed capital investment shall exclude the cost of land.	100
6	Poultry, hatchery, and meat processing (products identified by the Ministry of Food Processing, Government of India)	100

Note – Enterprises making investments below the specified investment threshold

mentioned against serial numbers 5 and 6 shall be ineligible for investment promotion under this policy."

26. under sub-heading (J) in the table of Annexure-2, in Column 2 of entry number 6, after the word "Enterprises.", the words "Note – Large enterprises under this category shall be eligible for investment promotion incentive as mentioned in Chapter (C-2)." shall be added.

27. under sub-heading (J) in the table of Annexure-2, a new entry shall be added as follows:

"12	Graphene Production	500"

28. At the end of the table of Annexure-2, the new entries and notes shall be added, as follows:

"(L)	**Toy Sector**	
1	Plastic based toys	75
2	Soft toys	50
3	Electronic Toys	150
4	Traditional toys of Chhattisgarh (Rural Industry)	10
	Note: 1. Plastic-based toys and soft toys shall be eligible for investment incentives as mentioned in Chapter (C-2) for large enterprises. 2. Electronic toys shall be eligible for investment incentives as mentioned in Chapter (C-4) for large enterprises."	

29. At the end of the table of Annexure-2, the new entries shall be added, as follows:

"(M)	**Products related to Circular Economy**	
1	Biomass Briquettes/Pellets	100
2	Manufacturing of Granules and other products from Plastic Recycling, excluding ineligible enterprises	75
3	Electronic Waste Processing	100
4	Green Cement (Clinker-free cement)	50
5	Recycled Garments, Footwear, Carpets, etc	150

6	Biomass Bags	50"

30. in Annexure-3, for the words "(12) Rice Mill and Parboiling (only for development blocks of Group 1 & 2)", the words "(14) Rice Mill, Parboiling and Fortified Rice Kernel (FRK) (only for development blocks of Group 1 & 2)" shall be substituted.

31. from the title of Annexure-6, the words "Micro, Small and Medium" shall be omitted.

32. in Annexure-6, in Column 2 of Serial No. 3 of Section (B) of the table, after the words "Business Process Outsourcing (BPO)" the words ", Knowledge Process Outsourcing (KPO), Legal Process Outsourcing (LPO)" shall be added.

33. in Annexure-6, for the entry Serial No. 1 of Section (C), the following shall be substituted, namely:

"1.	Automobile Repair and Service Centers	Group 1- 50
		Group 2- 30
		Group 3- 10"

34. in Annexure-6, in Column 3 of Serial No. 2 of Section (E) of the table, after the number "1500", the words "But 750 for Bastar and Surguja divisions" shall be added.

35. in Annexure-6, in Column 2 of Serial No. 3 of Section (F) of the table, after the words "Cultural Services", the words "such as centers for promoting Indian/state art, music, dance, and literature**."** shall be added.

36. in Annexure-6, in Column 2 of Serial No. 5 of Section (F) of the table, after the words "Health and Wellness Center", the words "which includes all types of allopathic, AYUSH, naturopathy, or integrated hospitals/centers with a minimum of 50 beds**"** shall be added.

37. in Annexure-6, the following new entries shall be added at the end of the table, namely:

"(H)	**Sports, Education and Training Services:**	
1	Sports and Recreational Center	500
2	Residential Sports Academy	500 (200 for Bastar and Sarguja Division)
3	Private Training Centers in sectors such as	25

	textile, apparel, footwear, toys, furniture, and others specified by the State Government	
4	Establishment of a campus with a minimum capacity of 1000 students in Bastar/Sarguja divisions by a private university included in the NIRF (University) Top 100	5000
5	Establishment of a campus with a minimum capacity of 1000 students in Chhattisgarh by a foreign university included in QS World University Rankings Top 500	5000
6	CBSE-recognized schools (from class 1 to 12) with a minimum capacity of 500 students in unserved urban areas or areas within 10 km of non-urban block headquarters, limited to the first three such institutions in that area as certified by the concerned District Administration. (Excluding land cost)	500"

38. in first Para of Annexure-7, , after the words "blocks", the words "and expansion/diversification of existing enterprises" shall be added.

39. in Para (3) of Annexure-7, Para (2) of Annexure-8, Para (3) of Chapter (A-2), Para (2) of Chapter (B-1), Para (2) of Chapter (B-2), Para (4) of Chapter (B-3), Para (2) of Chapters (C-1), (C-2), (C-3), (C-4), (C-5), (C-6), and (C-7), and Para (3) of Chapter (D-1), the following sentence shall be added, namely:

"In cases of expansion/diversification, the enterprises shall be provided electricity duty exemption for the above-mentioned period, in proportion to the additional investment made in plant & machinery/equipment for expansion/diversification and the total investment in machinery and equipment/apparatus (existing investment + expansion/diversification investment). In cases of phased production/service activities, the phase-wise ratio may be calculated as per the time limit mentioned in Para (17) of Annexure-1, however, the exemption period shall be calculated from the first date of commencement of the production/service activity after expansion/diversification."

40. in Para (11) of Annexure-7, Para (8) of Annexure-8, Para (19) of Chapter (A-2), Para (9) of Chapter (B-1), Para (10) of Chapter (B-2), Para (9) of Chapter (B-3), Para (10) of Chapters (C-1), (C-2), and (C-3), and Para (8) of Chapters (C-4), (C-5), (C-6), and (C-7), the words **"**skilled and semi-skilled**"** shall be omitted.

41. In the first Para of Annexure-8, after the word "establishment", the words "and expansion/upgradation of existing enterprises" shall be added.

42. in Tables of Para (1) & (2) of Annexure-8, for the words "capital investment in plant and machinery", the words "fixed capital investment (excluding land cost)" shall be substituted.

43. in Para (5) of Annexure-8, after the word "industrial", the mark and word "/commercial" is added.

44. in Para (7) of Annexure-8, Para (7) of Chapter (B-1), Para (9) of Chapter (B-2), Para (9) of Chapters (C-1), (C-2), and (C-3), and Para (7) of Chapters (C-4), (C-5), (C-6), and (C-7), the words **"**skilled and semi-skilled" shall be omitted; and for the words "Rs. 1 Crore per year", the words "2% of the approved fixed capital investment" shall be substituted.

45. in the heading of Para (9) of Annexure-8, for the number "1000" the number "500" is substituted.

46. in Para (6) of Annexure-9, the words "Additionally, private industrial areas/industrial parks will receive a 90 percent exemption on land use conversion fees for land converted up to a minimum of 15 acres" shall be omitted.

47. in Chapter (B-1), a new Para after Para (1) shall be added as follows, namely: "**(1-A) Interest Subsidy:** For the establishment of new enterprises and the expansion/diversification of the existing enterprises under thrust sectors listed in Annexure-2 will be granted interest subsidy at 40% of the interest paid or at 5% interest rate (whichever is lower) on term loan taken for plant & machinery, for 5 years from the date of commencement of commercial production, up to ₹5 crore per annum."

48. in Para (10) of Chapter (B-1), Para (12) of Chapters (C-1) and (C-2), Para (13) of Chapter (C-3), Para (10) of Chapters (C-4) and (C-5), and Para (11) of Chapters (C-6) and (C-7), the words "rates mentioned in" shall be added after the words **"**will be provided as per**";** and the words "subject to a combined maximum limit of 2% of the fixed capital investment" shall be added after the word "respectively".

49. in the title of Chapter (B-2), after word "for", the words **"**medium and**"** shall be added.

50. in the first Para of Chapter (B-2), after the words "eligible new", the words "medium and" shall be added.

51. in Para (7) of Chapter (B-2), serial no. 1 in the table shall be omitted.

52. in Para (11) of Chapter (B-2), for the words "general and thrust", the words "core (steel)" shall be substituted.

53. in the title of Chapter (B-3), after words "other core sector", the words "medium and" shall be added.

54. in the title of Chapter (C), the mark and word "/service" shall be added after the word "products", and the word "large" is omitted.

55. a new Para, as **(9-A)** in Chapters (C-1) and (C-3), and as **(7-A)** in Chapters (C-4), (C-5), (C-6) and Chapter (C-7), shall be added as follows, namely:

"**Employment Generation Subsidy**:

Enterprises providing more than 50 permanent jobs shall be reimbursed 20% of the salary paid to permanent employees who are domiciles of Chhattisgarh and receive salaries up to ₹50,000 per month. This reimbursement will be provided for up to 5 years from the date of employment, subject to a maximum of 7 years from the date of commencement of first commercial production/service activity."

56. in Chapters (C-1), (C-2), (C-3), and (C-4), a new Para shall be added as follows, namely:

"**(1-A) Interest Subsidy:**

Interest subsidy shall be provided for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production, on the term loan taken for plant and machinery for the establishment of new enterprises or for the expansion/ diversification/ substitution/ modernization of existing enterprises. The subsidy will be equal to 50% of the interest paid or interest calculated at the rate of 6%, whichever is lower. The annual limit of the subsidy shall be ₹20 Crore."

57. in the first paragraph of Chapter (C-2), for the number "100", the number "200" is substituted.

58. in Chapter (C-2), after Para (9), a new Para shall be added as follows, namely:

"**(9-A) Employment Generation Subsidy:**

For the native residents of Chhattisgarh, included by the Enterprises providing more than 50 permanent jobs, who earn up to ₹50,000/month therein, employment subsidy of ₹6,000 per female per month and ₹5,000 per male per month, for up to 5 years, upto maximum of 7 years from the date of first commercial production/service, shall be given."

59. in Para 11 of Chapter (C-2), for the number "110%", the number "220%" is substituted.

60. in Para 12 of Chapter (C-2), the words "Transport Subsidy (for export units only)," and the words "& 9.16" is omitted.

61. in Para (11) of Chapter (C-3), the words "or from the date of issuance of the certificate, whichever is later" shall be added after the words "farmers/units"; the words "75 percent" shall be substituted for the words "50 percent"; and the words "reimbursement of expenses" shall be omitted.

62. in Para (5) of Chapter (C-5), for the word "industrial", the word "commercial" is substituted.

63. in Para (9) of Chapter (C-5) and Para (10) of Chapters (C-6) and (C-7), for the number "110", the number "165" is substituted.

64. in Chapters (C-5), (C-6), and (C-7), after Para (1), a new Para shall be added as follows, namely:

"(1-A) <u>Interest Subsidy:</u>

An interest subsidy shall be provided for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production, on term loans availed for setting up new enterprises or for the expansion/diversification/substitution/modernization of existing enterprises. The subsidy shall be equal to 50% of the interest paid or interest calculated at the rate of 6%, whichever is lower. The annual limit of the subsidy shall be ₹20 Crore."

65. in Para (5) of Chapter (C-6), for the word "Industrial", the word "Commercial" is substituted.

66. in Para (10) of Chapter (C-6), for the number "110", the number "165" is substituted.

67. in Para (5) of Chapter (C-7), for the word "Industrial", the word "Commercial" is substituted.

68. in Para (10) of Chapter (C-7), for the number "110", the number "165" is substituted.

69. after Chapter (C-7), new Chapter **(C-8) "Industrial Investment Promotion" package for establishment of Global Capability Centers (GCCs) under the Industrial Development Policy 2024-30** as per attached **Schedule-1** shall be added.

70. after Chapter (C-8), add new Chapter **(C-9) "Industrial Investment Promotion" package for Defence, aerospace and Space Technology under the**

Industrial Development Policy 2024-30 as per attached **Schedule-2** shall be added.

71. in Para (8) of Chapter (D-1), after the words "information technology enterprises", the mark and words ", Mandi Fee Exemption" shall be added.

72. Chapter (D-2) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.

Schedule-1

(C-8) "Industrial Investment Promotion" package for establishment of Global Capability Centers (GCCs) under the Industrial Development Policy 2024-30:

India is a leading country in the establishment of Global Capability Centers (GCCs). Currently, around 1,800 GCCs are operational in the country, providing employment to approximately 2 million people. About 92% of these GCCs are located in Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Mumbai, Pune, and Delhi-NCR. Therefore, a special package has been prepared to attract GCCs to the state.

GCCs will be units that are wholly owned subsidiaries of multinational companies and will perform specific functions of their parent companies in the form of back-end offices, Centers of Excellence, or R&D centers. These functions may include financial management, analytics, human resource management, internal audit, legal work, IT, research and development, innovation, global supply chain management, etc. Units that only provide IT/ITES services to third parties will not be considered as GCCs under this definition.

Based on fixed capital investment and employment, GCCs have been categorized as follows:

Global Capability Centre	Criteria
Level-1 GCC	Fixed Capital Investment more than Rs 10 Cr but less than Rs 50 Cr or GCC providing minimum employment of 250
Advance GCC	Fixed Capital Investment more than Rs 50 Cr or GCC providing minimum employment of 500

Under the Industrial Development Policy 2024–30, for the establishment and expansion of Global Capability Centers (GCCs) in the state based on investment, investor units will be provided industrial investment promotion assistance up to 150% of the amount invested in fixed capital investment components of the project (this limit will be as otherwise prescribed, if applicable).

The following subsidies /exemptions /reimbursements will be provided under this package:

(1) **Fixed Capital Investment Subsidy** –

A capital investment subsidy will be provided for the establishment of Global Capability Centers (GCCs) in the state as per the following details:

Fixed Capital Investment	Percentage of Subsidy	Maximum Limit of Subsidy (in Crore Rs)	Duration of subsidy disbursement
(1)	(2)	(3)	(4)
Level-1 GCC	35	15	5 years, in equal installments
Advance GCC	35	60	6 years, in equal installements

Note:

1. The first installment of the fixed capital investment subsidy shall be disbursed after the commencement of service activities and upon approval of the submitted application.
2. If the unit makes provision for renewable energy for the GCC, it will be eligible for an additional 5% subsidy, and the maximum limit will also be increased by 5%.

(2) **Electricity Duty Exemption:**

On the establishment of Global Capability Centers (GCCs) in the state, electricity duty exemption will be provided for a period of 12 years from the date of commencement of service activities.

(3) Stamp Duty Exemption:

For the establishment of new Global Capability Centers (GCCs) in the state, full exemption from stamp duty will be provided on the execution of deeds related to the purchase/lease of land, sheds, and buildings, including land lease deeds.

(4) Registration Fee Reimbursement:

A reimbursement of 50% of the registration fee payable on land for the establishment of new Global Capability Centers (GCCs) in the state will be provided.

(5) Exemption on Land Use Diversion Charges:
For the establishment of new Global Capability Centers (GCCs) in the state, a 50% exemption in land use diversion charges will be granted for up to a maximum of 50 acres of land, in case of conversion for commercial purposes.

(6) Reimbursement of Charges for New Electricity Connection:
For the establishment of GCCs, 50% reimbursement of the charges payable for new electricity connections (excluding the security deposit) will be provided.

(7) Operational Expenditure Subsidy:
For the establishment of Global Capability Centers (GCCs) in the state, a subsidy of 20% of operational expenditure (including lease rent, internet connectivity, bandwidth, data center/cloud host service charges, and energy expenses) will be provided for a period of 5 years from the date of commencement of service activities. The annual limit for the operational expenditure grant will be 2% of the approved capital investment.

(8) Interest Subsidy:

Interest subsidy on term loan for establishment of GCC will be provided as following

Level of GCC	Rate of subsidy	Annual limit of Subsidy (In Rs Crore)	Duration
(1)	(2)	(3)	(4)
Level-1 GCC	50% of the interest paid or interest calculated at 6% rate, whichever is lower	1	5 years
Advance GCC	40% of the interest paid or interest calculated at 6% rate, whichever is lower	2	5 years

(9) Payroll Subsidy:

Global Capability Centers (GCCs) established in the state will be provided a subsidy of 20% of the salary paid to the domicile of the state for a period of five years from the date of commencement of service activities, subject to a maximum of ₹2,00,000 per month per employee. The annual reimbursement limit will be equivalent to 10% of the approved fixed capital investment.

(10) E.P.F. Reimbursement:

Upon the establishment of a GCC in the state, 75% reimbursement of the employer's EPF (Employees' Provident Fund) contribution for employees from Chhattisgarh will be provided for a period of 5 years from the date of

commencement of service activities. The annual reimbursement limit will be equivalent to 2% of the approved fixed capital investment.

(11) Skill Development Expenditure Reimbursement:

GCCs established in the state will be reimbursed at the rate of 50% or ₹50,000 per employee, whichever is lower, for expenses incurred on training of permanent employees who are domicile of Chhattisgarh in emerging technologies (such as Blockchain, AI, etc.), accounting, audit, analytics, cybersecurity, etc. The maximum reimbursement limit will be 50% of the approved fixed capital investment, and the time limit will be up to 5 years from the date of commencement of service activities.

(12) Special Subsidy for Anchor Units:

The first five anchor units with investments exceeding ₹100 crore will be eligible for an additional 5% subsidy on the approved fixed capital investment. The maximum limit of the grant can be up to 165% of the total fixed capital investment.

(13) Other Subsidies:

Other grants such as project report grant, quality certification grant, technical patent grant, technology acquisition grant, water and energy efficiency expenditure reimbursement will be provided as per Annexures 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, and 9.15 respectively.

(14) Special Subsidy:

If a GCC establishes an incubation center for state-based startups, the GCC will be eligible for grants mentioned under Chapter D-3, Point (5) of the Industrial Development Policy 2024–30.

(15) Provision for Special Industrial Investment Incentive for Units with Investment Above ₹500 Crore or Employment of More Than 1000 Persons:

For the establishment of GCCs with investment of Rs 500 Cr or more or providing employment to more than 1000 individuals in the state, the Cabinet Sub-Committee may consider proposals for additional incentives apart from the investment incentives declared under the Industrial Development Policy 2024–30.

Schedule-2

(C-9) "Industrial Investment Promotion" Package for Large Enterprises in the Fields of Defence, Aerospace, and Space Technology under the Industrial Development Policy, 2024-30:

Under the Industrial Development Policy 2024-30, based on investments in the state, industrial investment promotion will be provided to investor units for the establishment of new enterprises and for the expansion/ diversification/ substitution/ modernization of existing enterprises related to defence, aerospace, and space technology. This incentive will be up to 100% of the fixed capital investment items of the project (unless otherwise specified, in which case the limit will be as per the relevant provisions). Enterprises/products related to defence, aerospace, and space technology as defined/recognized by the Government of India or its authorized agencies will be eligible for this package.

The following grants/exemptions/concessions/reimbursements will be provided under this package:

(1) Net State Goods and Services Tax (Net SGST) Reimbursement:

Reimbursement of Net SGST paid for up to 12 years from the date of commencement of commercial production, up to a maximum of 100% of the fixed capital investment.

OR

Fixed Capital Investment Subsidy:

For the establishment of new enterprises related to defence and aerospace in the state, and in cases of expansion/diversification/substitution/modernization of existing enterprises, a fixed capital investment grant will be provided as per the following details:

Investment in Plant & Machinary (in Crore Rs)	Rate of Subsidy	Maximum limit of subsidy (in Crore Rs)	Duration of subsidy disbursal
(1)	(2)	(3)	(4)
More than 50 but lesser than 200	35	60	06 years, in equal installments
More than 200 but lesser than 500	35	150	06 years, in equal installments
More than 500	35	300	06 years, in equal installments

Note:

(1) Among the benefits indicated in Point No. 1, only one option can be availed—either the Net State Goods and Services Tax (Net SGST) reimbursement or the Capital Investment Subsidy. The chosen option shall be irrevocable. For the selection of the option, the investor must submit an option letter in the prescribed format along with an affidavit as determined by the department.

(2) The first installment of the Capital Investment Subsidy shall be paid after the commencement of production, upon submission of the application and subsequent approval as per the prescribed procedure.

(2) Interest Subsidy:

Interest subsidy of 50% of the interest paid or interest calculated at a rate of 6%, whichever is lower will be provided for five years from the date of commencement of commercial production on term loans taken for plant and machinery for setting up new enterprises or for expansion/diversification/substitution/modernization of existing enterprises. The annual limit of the subsidy will be ₹20 Crore.

(3) Electricity Duty Exemption:

Electricity duty exemption will be granted for up to 12 years from the date of commencement of commercial production to new enterprises established in the state or for expansion/ diversification of existing enterprises. In the case of expansion/ diversification, the exemption will be proportionate to the additional investment made in plant and machinery for the expansion/ diversification and the total investment (existing + new) in plant and machinery. In phased production cases, proportional calculations will follow the time limits mentioned in Annexure-1, point (17), but the exemption duration will be counted from the date of first production after expansion/diversification.

(4) Exemption from Stamp Duty:

For the establishment of new enterprises and for cases involving expansion/ diversification/ substitution/ modernization of existing enterprises, complete exemption from stamp duty will be granted on executed deeds related to the purchase/ lease of land, sheds, and buildings.

(5) Reimbursement of Registration Fees:

For the establishment of new enterprises and for expansion/ diversification/ substitution/ modernization of existing ones, 50% of the registration fee paid for land will be reimbursed.

(6) Exemption from Land Use Diversion Charges:

For new enterprises and for the expansion/ diversification/ substitution/ modernization of existing units, an exemption of 50% in land use diversion charges (for industrial purposes) will be given, for up to a maximum of 50 acres.

(7) Reimbursement of Charges for New Electricity Connection:

Only eligible new enterprises will receive reimbursement of 50% of the charges paid for new electricity connections (excluding security deposits).

(8) Employment Generation Subsidy:

For enterprises providing permanent employment to more than 50 individuals, a reimbursement of 20% of the wages paid to domicile of Chhattisgarh will be provided for five years, up to a maximum period of seven years from the date of first commercial production/service activity. This applies to employees earning up to ₹50,000/month.

(9) EPF Reimbursement:

For the establishment of enterprises and expansion/ diversification/ substitution/ modernization of existing ones, reimbursement of 75% of the EPF contribution for employees who are domicile of Chhattisgarh will be provided for five years from the date of commencement of commercial production, subject to a maximum of 2% of eligible fixed capital investment per year.

(10) Training Stipend Reimbursement:

For new enterprises established or expansion/ diversification/ substitution/ modernization of the existing enterprises in the state, reimbursement will be provided for training expenses of employees of Chhattisgarh domicile who earn less than ₹50,000/month. The reimbursement will be either one month's salary or ₹15,000 per person (whichever is lower), for up to five years or 100% of the fixed capital investment, whichever is less. The first claim will be eligible one year after the employee's recruitment.

(11) Special Incentives to Anchor Units:

The first five anchor units with investments of more than ₹200 Crore will be provided an additional 5% grant on eligible fixed capital investment, up to a maximum of 110% of the total fixed capital investment.

(12) Other Incentives:

Other grants such as project report subsidy, quality certification subsidy, technology patent subsidy, technology purchase subsidy, water and energy

efficiency expense reimbursement subsidy, and transport subsidy (only for exporter units) will be provided as per the rates mentioned in Appendices 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.15, and 9.16. The maximum limit for these grants will be equivalent to 2% of the eligible fixed capital investment.

(13) Special Industrial Investment Promotion:

Special industrial investment incentives will be provided for the establishment of new defence and aerospace-related enterprises and for the expansion/ diversification/substitution/modernization of existing ones in the state as per the following provisions:

Sr. No	Head	Detail
(1)	(2)	(3)
1	Establishment of Research & Development	A subsidy of 20% of the expenditure on purchase of plant and machinery for newly established R&D units in the field of defence, aerospace, and space technology, subject to a maximum of ₹3 Crore.
2	Stamp Duty Exemption on Land & Building Purchased/ Leased for R&D	Full exemption.
3	Investment Incentive for Establishment of Center of Excellence (CoE)	For the establishment/expansion/diversification of Centers of Excellence in fields such as defence, aerospace, drone technology, space technology, remote sensing, etc., a 50% fixed capital investment subsidy will be provided, along with other incentives as mentioned in Appendix-7/Appendix-8 of the policy based on the investment.
4	Certification for Export	For obtaining international certification/approval for export products, reimbursement of up to 50% of the application fee, subject to ₹15 lakh per product and a maximum of 10 products per unit. The unit must present proof of commercial export worth ₹50 Crore or more per product. For patent registration done during the policy period, 100% reimbursement of expenses will be provided upon obtaining the patent certificate, subject to

		registration under the relevant ministry of the Government of India.
5	Establishment of Drone Testing & Training Center	A subsidy of 20% of the expenditure incurred on setting up centers for drone testing and pilot training, subject to a maximum of ₹50 lakh.

(14) Provision for Special Industrial Investment Incentives for Units Investing Over ₹1000 Crore:

In the state, enterprises related to defence, aerospace, and space technology that invest ₹1000 Crore or more, or provide employment to 1000 or more individuals, may be considered for additional incentives beyond those declared under the Industrial Development Policy, 2024–30. Such proposals for additional investment incentives will be reviewed by the Cabinet Sub-Committee.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.